प्रेस नोट दिनाँक-20.07.2021

(1). दिनांक 19.07.2021 को रात्रि में पुलिस कार्यालय सोनेपुर स्थित राघव प्रेक्षागार में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल की अध्यक्षता में सैनिक सम्मेलन एवं मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया।

सैनिक सम्मेलन-

(1). महोदय द्वारा पिछले सैनिक सम्मेलन में प्राप्त हुई शिकायतों के निस्तारण के सम्बन्ध में पूछा गया।

(2). उपस्थित अधि0/कर्मचारीगणों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया जिनके निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

(3). महोदय द्वारा सर्वप्रथम थाना मारकुण्डी में नियुक्त आरक्षी भास्कर शुक्ला द्वारा प्रशस्ति-पत्र एवं 500/- रुपये नकद इनाम देकर सम्मानित किया गया। दिनाँक 18.07.2021 को शबरी जल प्रपात में स्नान करते हुये 04 लोग बह गये थे जिन्हें आरक्षी भास्कर शुक्ला द्वारा अपनी जान की परवाह न करते हुये पानी में कूदकर बाहर निकाला गया जिनमें से आकाश साहू को जीवित अवस्था में पानी से बाहर निकाला गया था। प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री सुशीचन्द्र शर्मा, उ0नि0 श्री शिवपूजन यादव.उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता, महिला आरक्षी शवनाज व महिला आरक्षी नीलू यादव को प्रशस्ति-पत्र एवं 500/-500/- रुपये नकद इनाम देकर सम्मानित किया गया। थाना रैपुरा की पुरुस्कृत टीम द्वारा दिनाँक 18.07.2021 को मानसिक रुप से विक्षिप्त महिला जो अर्धनग्न अवस्था में धूम रही थी महिला आरक्षियों की सहायता से नई साड़ी खरीदकर पहनायी गयी तथा महिला को उसके घर सकुशल पहुंचाया गया था।

पुरुस्कृत अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा आम जनमानस में पुलिस के प्रति सम्मान एवं विश्वास की भावना जागृत हुयी।

मासिक अपराध गोष्ठी-

मासिक अपराध गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिये-

(1). शाखा डीसीआरबी से थानों के हिस्ट्रीशीटर, मफरूर, इनामिया अपराधियों की अद्यतन स्थिति का मिलान करवाने हेतु समस्त प्रभारी निरीक्षकों को आदेशित किया गया।

(2). समस्त प्रभारी निरीक्षकों को निर्देशित किया गया कि पासपोर्ट की जांच 15 दिन के अन्तर्गत निस्तारित करवायें तथा आवेदक के घर जाने से पहले उससे दिये गये मोबाईल नम्बरों पर सम्पर्क करें।

(3). समस्त प्रभारी निरीक्षकों को निर्देशित किया गया कि डायल 112 के पीआरवी वाहनों में रुट चार्ट चैक किये जायें सभी के रुट चार्ट में अपर पुलिस अधीक्षक हस्ताक्षर अनिवार्य रुप से होने चाहिये।

(4). आईजीआरएस से सम्बन्धित जांच आख्या में 02 गवाहों के नाम व मोबाईल नम्बर अंकित करने हेतु निर्देशित किया गया।

(5). किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी होने पर सीसीटीएनएस में गिरफ्तारी परिपत्र फीड करवाने हेतु निर्देशित किया गया।

(6). थानों पर लम्बित चरित्र सत्यापन का निरस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया।

(7). नये डीजी सर्कुलर प्राप्त होने पर अपने अधीनस्थ नियुक्त अधि0/कर्मचारीगणों को रात्रि गणना में पढ़कर बताये जायें।

(8). थानास्तर पर सीसीटीएनएस के अनुसार लम्बित विवेचनाओं की समीक्षा कर, सभी को सख्त निर्देश दिये गये कि लम्बित विवेचनाओं का शीघ्र निस्तारण करें।

(9). प्रतिदिन अपने अधीनस्थ पुलिसकर्मियों को दिये गये टास्क की समीक्षा गणना की समीक्षा प्रभारी निरीक्षक स्वयं करें।

10. आगामी बकरीद, रक्षाबंधन त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

(11). पुरुस्कार घोषित अपराधी,मफरूर एवं माफियाओं की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया।

(12). वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।

सैनिक सम्मेलन एवं मासिक अपराध गोष्ठी में श्री शैलेन्द्र कुमार राय अपर पुलिस अधीक्षक, श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय क्षेत्राधिकारी नगर, श्री एस0पी0 सोनकर क्षेत्राधिकारी राजापुर, श्री सुबोध गौतम क्षेत्राधिकारी मऊ, श्री यतीन्द्रनाथ उमराव मुख्य अग्निशमन अधिकारी, समस्त थाना/चौकी प्रभारी, प्रतिसार निरीक्षक, प्रतिसार निरीक्षक रेडियो, प्रभारी सोशल मीडिया सेल, प्रभारी मॉनीटरिंग/डीसीआरबी, प्रभारी एलआईयू, प्रभारी यातायात, वाचक पुलिस अधीक्षक, स्टेनों पुलिस अधीक्षक, प्रधान लिपिक पुलिस अधीक्षक, प्रभारी आंकिक शाखा, उपस्थित रहे।

(2). आज दिनांक- 20.07.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल द्वारा चौकी शिवरामपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये-

(1). मुकदमों से सम्बन्धित वाहनों की नीलामी प्रक्रिया कराने हेतु निर्देश दिये।

(2). लम्बित विवेचनाओं के निस्तारण एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिये।

(3). चौकी परिसर, भोजनालय की साफ-सफाई हेतु निर्देश दिये गये।

4. चौकी परिसर में निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया गया एवं गुणवत्ता पूर्वक कार्य पूर्ण कराये जा ने हेतु निर्देशित किया गया।

(3). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 19.07.2021 एंटी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा ग्राम लालापुर में मंदिर, दुकानों पर, एंटी रोमियो टीम थाना मारकुंडी द्वारा ग्राम डोडा माफी व कस्बा मारकुंडी में,एंटी रोमियो टीम थाना भरतकूप के द्वारा ग्राम हरिहरपुर एवं नया छिवलहा में, एंटी रोमियो टीम थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा बस स्टैंड जन सेवा केंद्र व बाजार में, एंटी रोमियो मानिकपुर चित्रकूट द्वारा कस्बा व रेलवे स्टेशन के पास, एंटी रोमिओ टीम महिला थाना द्वारा पुरानी बाजार, धुस मैदान, काली माता चौराहा, बस स्टेण्ड, ट्रेफिक चौराहा, एलआईसी तिराहा आदि स्थानों पर, एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट द्वारा रेलवे स्टेशन व कोलमजरा में भ्रमण कर महिलाओं/ बालिकाओं को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया। सभी से अपील की कोई भी अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर न निकलें/घूमें कोरोना वायरस से अपने व अपने परिवार को बचाये। महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारें में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरुक किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों की गिरफ़्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री रमेश चन्द्र प्रभारी निरीक्षक थाना मारकुंडी के मार्गदर्शन में उ०नि० श्री प्रदीप कुमार पाल तथा उनकी टीम द्वारा लूट की घटना का खुलासा करते हुए तीन अभियुक्तों को लूट के 300 रु० एवं घटना में प्रयुक्त स्कार्पियो गाड़ी नंबर MH 02 JP 1147 के साथ गिरफ्तार किया गया|

उल्लेखनीय है कि कल दिनांक 19.07.2021 को श्री अभिलाष पुत्र गिरजा निवासी डोडामाफ़ी थाना मारकुंडी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मारकुंडी में सूचना दी गयी कि दिनांक 18.07.2021 को समय रात्रि 08 बजे मैं हरिविलास मिश्रा का ट्रेक्टर चलाकर पुष्करणी रेलवे फाटक के आगे जा रहा था कि एक सफ़ेद रंग की स्कार्पियो गाड़ी नंबर MH 02 JP 1147 में बैठे तीन व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा वादी के ट्रेक्टर को ओवेरटेक कर गाली गलोज कर जान से मारने की धमकी देना व 300 रु० रंगदारी लेना, इस सूचना पर थाना मारकुंडी में मु0अ0स0 27/21 धारा 342/387/504/506 भादवि बनाम स्कार्पियो गाड़ी नंबर MH 02 JP 1147 में बैठे तीन व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया | घटना के खुलासे हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना मारकुंडी ने उ०नि० श्री प्रदीप कुमार पाल के नेतृत्व में टीम गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए | पुलिस टीम लगातार प्रयासरत थी कि आज दिनांक 20.07.2021 को मुखबिर की सूचना पर डोडामाफ़ी ग्राम से 500-700 मीटर पर खडी स्कार्पियो गाड़ी नंबर

MH 02 JP 1147 में बैठे अभियुक्त में बैठे अभियुक्त 1.नीरज कुमार द्विवेदी पुत्र रामअवध द्विवेदी निवासी शम्भू वैध का पूरवा, किहुनिया थाना मारकुंडी 2.अरुण कुमार शुक्ला पुत्र काशी प्रसाद शुक्ला निवासी दीपू गाँव, किहुनिया थाना मारकुंडी 3.राहुल मिश्रा पुत्र शिवनारायण मिश्रा निवासी पयासी पुरवा थाना मारकुंडी जनपद चित्रकूट को 100-100 रु० लूट के कुल 300 रु० के साथ गिरफ्तार किया गया | विवेचना के दौरान बढ़ोतरी धारा 392/411 भादवि व धारा 387 भादवि का लोप किया गया व स्कार्पियो गाड़ी के कागजात प्रस्तुत न कर पाने पर धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज की गयी |

बरामदगी:-

1.लूट के 300 रूपये (प्रत्येक अभियुक्त से 100-100 रुपए)

2. घटना में प्रयुक्त स्कार्पियो गाड़ी नंबर MH 02 JP 1147

गिरफ़्तारी करने वाली टीम :-

1.उ०नि० श्री प्रदीप कुमार पाल थाना मारकुंडी जनपद चित्रकूट

2.आरक्षी संदीप कुमार

3.आरक्षी कमलेश कुमार

4.आरक्षी मृतुन्जय पाण्डेय

5.आरक्षी योगेन्द्र कुमार

(5). आज दिनांक 20.07.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा जनपद चित्रकूट के व्यापारी बंधुओं के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को सुना गया |

सर्वप्रथम अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा मीटिंग में उपस्थित व्यापारियों से परिचय प्राप्त किया गया | सभी व्यापारियों का मीटिंग में स्वागत करते हुए मीटिंग के उद्देश्य कि **"आपकी समस्याओं का निराकरण करना"** से अवगत कराया गया और किसी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल डायल 112 पर कॉल करने के बारे में बताया गया |

गोष्ठी में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी-

1. बरमपुर के पहले पुलिस सहायता केंद्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता है, इस पर अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा आश्वाशन दिया गया |

2. लायसेंसी शराब की दुकानों के पास भीड़ लगाकर लोग शराब पीते हैं, इस पर नियंत्रण लगाये जाने हेतु श्री रामबाबू गुप्ता द्वारा मुद्दा उठाया गया, इस सम्बन्ध में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी को आवश्यक कार्यवाही एवं नियंत्रण करने हेतु निर्देश दिए गए |

3. पेट्रोल पंप के पास रात्रि में डायल 112 की गाड़ी आकर खडी रहे तो लोगों और पंप मालिकों की सुरक्षा की जा सकती है |

4. ईटा मंडी व बालू सीमेंट की दुकान का मटेरियल व्यापारिओं के घर/दुकान के सामने पड़ा रहता है जिससे रात्रि में चोरी होने की संभावना बनी रहती है, रात्रि में गश्त हेतु अनुरोध किया गया |

5. व्यापारी शानू गुप्ता द्वारा सर्राफा बाजार में एक स्थायी पुलिस पिकेट की व्यवस्था करने हेतु अनुरोध किया गया |

6. इटवा डुडोला में यूपी 112 का पॉइंट बनाया जाये, इस सम्बन्ध में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना मारकुंडी को निर्देशित किया जायेगा |